

कमेटी रिपोर्ट:-

मैसर्स : ARTHA INFRATECH PRIVATE LIMITED, प्लॉट नं०-PLOT NO- 21 SECTOR -

TECHZONE -IV ,GREATER NOIDA NOIDA 201306, जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित मिक्सड ऑक्यूपेन्सी/शॉप्स/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय/मॉल मल्टीप्लैक्स) भवन के निर्माण हेतु उ०प्र० शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-8 के पत्र संख्या: 1821/छ-पु०-8-65 (रिट)/08 दिनांक: 25-07-2008 एवं अपर पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या: एफएस-1076/2012 दिनांक: 05-10-2012 के अनुपालन में मल्टीप्लैक्स एवं मेगा शापिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि जैसे बृहद एवं महत्वपूर्ण भवनों के नक्शों पर अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कमेटी:-
सन्दर्भ:यू०आई०डी० संख्या: UPFS/2019/4834/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/1947/JD

- 1-श्री अरविन्द कुमार:- संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।
- 2-श्री अमन शर्मा:- उपनिदेशक, फायर सर्विस, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।
- 3-संयोजक, अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह:- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 4-सदस्य, श्री शेषनाथ यादव:- अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-3, ग्रेटर नोएडा।
- 5-सदस्य, वास्तुविद:-ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के नामित सदस्य।


उपरोक्त प्रकरण पर विचार कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 16.04.2019 को 16:30 बजे जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय सैक्टर-27 नोएडा पर समिति की बैठक आयोजित की गयी। समिति सदस्यों द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों का परीक्षण उ०प्र० अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 में विहित न्यूनतम सुसंगत मानकों के अनुसार किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-कुल प्लॉट एरिया-1,00,067.54वर्ग मी० है, जिसमें प्रस्तावित भवन के तलों का फ्लोरवाइज एरिया विवरण निम्नवत है:-

| क्र०स० | तलों का विवरण | प्रस्तावित कवर्ड एरिया वर्ग मी० में | | |
|--------|------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| | | ब्लॉक ए | ब्लॉक बी | ब्लॉक सी |
| 01 | भूतल | 5925.270 | 2701.572 | 1394.900 |
| 02 | प्रथम तल | 5600.056 | 2484.123 | 1394.900 |
| 03 | द्वितीय तल | 2715.033 | 2620.890 | 1394.900 |
| 04 | तृतीय तल | 3135.765 | 2620.826 | 1394.900 |
| 05 | चतुर्थ तल | - | 2620.826 | 506.907 |
| 06 | पंचम तल | - | 2620.826 | - |
| 07 | छठा तल | - | 2620.826 | - |
| 08 | सातवां | - | 2620.826 | - |
| 09 | आठवां तल | - | 2620.826 | - |
| 10 | नौवां तल | - | 2620.826 | - |
| 11 | दसवां तल | - | 2620.826 | - |
| 12 | प्रथम बेसमेन्ट | 7948.826 | 3819.424 | 2787.863 |
| 13 | द्वितीय बेसमेन्ट | 13950.825 | 10955.070 | - |
| 14 | तृतीय बेसमेन्ट | - | 8601.403 | - |
| 15 | भवन की ऊँचाई | 23.95मीटर (मॉल/मल्टीप्लैक्स) | 50.10मीटर(आफिस) | 27.60मीटर(मकॅण्टाईल) |

भवन का अधिमोग एवं हैजाई विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिमोग एन०बी०सी०-2016 की मिक्सड ऑक्यूपेन्सी (रिटेल् शॉप्स/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय/मॉल मल्टीप्लैक्स) भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-


 (अरुण कुमार सिंह) (अमन शर्मा) (अरविन्द कुमार)
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं निदेशक फायर सर्विस संयुक्त निदेशक फायर सर्विस
 गौतमबुद्ध नगर मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ उ०प्र० लखनऊ

1-पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में एक ओर 65.00 मी० एवं दूसी ओर 45.00मीटर रोड की चौड़ाई अंकित है, जो मानकों के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वार:- प्रस्तावित भवन मे प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौड़ाई 06.00 मी० मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

3-सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक/ ओपन स्पेस निम्नवत है:-

ए०-अग्रभाग-16.00मीटर।

बी०-पृष्ठ भाग-12.00मीटर

सी०-पार्श्व भाग प्रथम-12.00 मीटर।

डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-12.00मीटर

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन के सैटबेक नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार है, तथा अग्निशमन वाहनों के कार्य हेतु भवन के चारों ओर 06.00 मी० हाई सरफेस युक्त मोडरेबुल मार्ग सदैव अवरोध मुक्त रखा जाना अनिवार्य होगा, जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी।

4-निकास मार्ग:- प्रश्नगत भवन के मानचित्रों में तृतीय बेसमेण्ट में 04 अदद स्टेयरकेस, द्वितीय बेसमेण्ट में 09 अदद स्टेयरकेस व प्रथम बेसमेण्ट में 11 अदद स्टेयरकेस तथा ब्लाक ए० में 08 ऑडीज प्रस्तावित हैं, जिसमें निकास हेतु भूतल से द्वितीय तल तक 07 अदद(04एक्सटरनल एवं 03 इण्टरनल), तृतीय तल पर 05 अदद स्टेयरकेस एवं टैरिस पर 03अदद स्टेयरकेस, ब्लाक बी० में 04 अदद (03एक्सटरनल एवं 01 इण्टरनल) स्टेयरकेस एवं ब्लाक सी० में 02 अदद (02एक्सटरनल) स्टेयरकेस जिनकी चौड़ाई 02.00मीटर प्रत्येक प्रस्तावित हैं तथा बेसमेण्ट में अतिरिक्त रैम्प प्राविधानित हैं। समस्त स्टेयरकेस एनक्लोजर सहित फायर चैक डोर एवं अन्य ओपनिंग 02 घण्टे तापरोधी क्षमता की निर्मित की जानी अनिवार्य होगी। फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-रिफ्यूज एरिया:- प्रस्तावित भवन में रिफ्यूज एरिया एन०बी०सी० मानक के अनुसार प्राविधानित है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाये प्राविधानित हैं।

1-होजरील/डाउनकमर:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर होजरील डाउनकमर लैण्डिंग वाल्व, मय होजरील एवं होज बाक्स, व साधारण ब्रान्च पाइप का प्राविधान मानको के अनुसार प्राविधानित है।

2-टैरिस टैंक/पम्प:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लाक की प्रत्येक टैरिस पर 20,000 हजार ली० क्षमता का टैरिस टैंक एन०बी०सी० मानकों के अनुसार प्राविधानित है एवं टैरिस पम्प एन०बी०सी० मानको के अनुसार वॉच्छनीय नहीं है।

3-भूमिगत टैंक:- प्रस्तावित भवन में 2,80,000(दो लाख अस्सी हजार) क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक एन०बी०सी० मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

4-पम्पस:- प्रत्येक अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास 02 अदद 2850 एल०पी०एम० क्षमता के विद्युत चालित मेन पम्प, 02 अदद डीजल चालित पम्प 2850 एल०पी०एम० क्षमता, व 1620 एल०पी०एम० क्षमता का 02 अदद वाटर कर्टेन पम्प एवं 02 अदद जौकी पम्प 180 एल०पी०एम० क्षमता मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित है।

5-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन मे वेटराइजर सिस्टम एन०बी०सी० मानको के अनुसार प्राविधानित है।

6-यार्ड हाइड्रेण्टस:- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर मे रिंग लाइन यार्ड हाइड्रेण्टस होज केबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का एन०बी०सी० प्राविधान मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7-आटोमेटिक सिंक्रलर सिस्टम:- प्रत्येक ब्लाक के सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक सिंक्रलर सिस्टम एन०बी०सी० मानको के अनुसार प्राविधानित है।

8-आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन मे आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानको के अनुसार प्राविधानित है।


9-मैनुअली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन मे मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानको के अनुसार प्राविधानित है।


10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०-2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।


11-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:- प्रस्तावित भवन में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।


12-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रस्तावित भवन में कम्पार्टमेन्टेशन एन०बी०सी०-2016 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13-प्रेशराईजेशन सिस्टम:- प्रस्तावित भवन में प्रेशराईजेशन एन०बी०सी० मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।


(अनन्द कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
फायर स्टेशन इकोटेक तृतीय


(अनन्द कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं प्रदेशक फायर सर्विस
गौतमबुद्ध नगर


(अनन्द कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं प्रदेशक फायर सर्विस
बैरठ परिसर, मेरठ


(अनन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक फायर सर्विस
उ०प्र० लखनऊ

14-पी0ए0 सिस्टम- प्रस्तावित भवन मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15-एग्जिट साईनेज- प्रस्तावित भवन मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

अध्यक्ष ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अपेक्षा की कि उपरोक्त के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाय:-

1. प्रस्तुत मानचित्रों को भली-भाँति देखकर उसका अग्नि से सुरक्षा दृष्टिकोण सम्बन्धी परीक्षण कर लिया गया है। मानचित्रों में अग्निशमन सम्बन्धी सभी व्यवस्थायें मानकों के अनुरूप प्राविधानित हैं अथवा नहीं ?

2. प्रस्ताव पूरी तरह से निर्धारित शासनादेशों, भवन नियमावली नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप है अथवा नहीं ? उपरोक्त के क्रम में मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में यह प्रमाणित किया गया


कि :-

1. प्रस्तुत मानचित्रों को भली-भाँति देखकर उसका अग्नि से सुरक्षा दृष्टिकोण सम्बन्धी परीक्षण कमेटी द्वारा कर लिया गया है। मानचित्रों में अग्निशमन सम्बन्धी सभी व्यवस्थायें मानकों के अनुरूप प्राविधानित हैं।

2. प्रस्ताव पूरी तरह से निर्धारित शासनादेशों, भवन नियमावली नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप है।

मैसर्स : ARTHA INFRATECH PRIVATE LIMITED, प्लॉट नं0-PLOT NO- 21 SECTOR - TECHZONE -IV ,GREATER NOIDA NOIDA 201306, जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित मिक्सड ऑक्यूपेन्सी (रिटेल शॉप्स/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय/मॉल मल्टीप्लैक्स) भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु कमेटी संस्तुति इस शर्त के साथ करती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2016 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

सदस्य




(श्रीप्रनाथ सिंघा)दव)

अग्निशमन अधिकारी

ईको-03, ग्रेटर नोएडा

फायर रेटिंग इकाई के

सदस्य



वास्तुविद नियोजक


ग्रेटर नोएडा।

(अमन शर्मा)

उपनिदेशक, फायर सर्विस

मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

संयोजक



(अरुण कुमार सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

गौतमबुद्धनगर नगर


(संयुक्त निदेशक)

संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस

उ0प्र0 लखनऊ

अनुमोदन

अध्यक्ष



जिलाधिकारी